(क) किसी सड़क को चौड़ा करना, बढ़ाना, जैसे कार्य और इस प्रकार की सड़कें, पुल अथवा पुलिया तथा संयंत्र का मरम्मत कार्य करना । इसके अतिरिक्त इन सड़कों के किनारे वृक्ष का लगाना तथा वृक्षों का संरक्षण करना ;

(ख) धारा 77 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी जल स्त्रोत तथा अन्य सम्पत्ति को गहरा करना अथवा सुधार करना ;

(ग) ऐसे सड़क अथवा गली पर स्थित किसी वृक्ष के छोर या शाखा को काटना ।

(3) द्वीप परिषद के पास उनके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी सड़कों, गलियों, जलमार्गों, पुलों तथा पुलियों पर नियंत्रण होगा, जो निजी सम्पत्ति हो अथवा निजी सम्पत्ति न हो या सरकार के नियंत्रणाधीन तत्समय के लिए सम्पत्ति न हो और यह इनके सुधार, अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा और विशेषतौर पर, यह नई सड़कों तथा गलियों का नक्शा बनाएगा, तथा नए पुलों और पुलियों का निर्माण करेगा ।

द्वीप परिषद को किसी कार्य अथवा संस्थान का हस्तांतरण

72. प्रशासक, द्वीप परिषद को किसी कार्य का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत कार्य अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी संस्थान के प्रबंधन का कार्य सौंपेगा ।

बशर्ते कि निष्पादन या मरम्मत कार्य के लिए अथवा द्वीप परिषद को सौंपे गए संस्थान प्रबंधन के कार्य के लिए आवश्यक निधि को प्रशासक अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा द्वीप परिषद के निपटान में दिया जाएगा ।

अनुबंध का निष्पादन

73. द्वीप परिषद द्वारा किए गए प्रत्येक अनुबंध अथवा करार लिखित रूप में होंगे और इसमें चीफ कैप्टेन, कार्यपालक अधिकारी तथा द्वीप परिषद के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे द्वीप परिषद के एक समान मुहर से मुहरबंद किया जाएगा ।

द्वीप परिषद निधि

74. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद की निधि क्रेडिट करने के लिए या द्वीप परिषद के द्वारा या उसकी ओर से या ऐसी निधि को वहाँ से आहरित करने के लिए एक द्वीप परिषद निधि होगी ।

(2) निम्नलिखित चीजें क्रेडिट होकर द्वीप परिषद निधि का भाग बनेंगे, अर्थात्;

(क) धारा – 75 के अंतर्गत लागू टैक्स या फीस के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिया गया अंशदान;

(ग) किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा द्वीप परिषद निधि में जमा करने के लिए आदेशित सभी राशि;

(घ) प्रतिभूतियों में निवेश की गई द्वीप परिषद निधि से प्राप्त आय;

(ड.) भू–राजस्व अथवा सरकार के अन्य शुल्कों से प्राप्त शेयर;

(च) ऋण अथवा उपहार के रूप में प्राप्त सभी राशि;

(छ) द्वीप परिषद के प्रबंधन के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र से प्राप्त आय;

(ज) द्वीप परिषद के किसी सम्पत्ति से प्राप्त राशि के रूप में आय;

(झ) द्वीप परिषद के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा की गई सभी धूल, मिट्टी गोबर, कूड़ा से प्राप्त धनराशि;

(ञ) प्रशासक के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा द्वीप परिषद निधि में दी गई राशि;

(ट) द्वीप परिषद निधि से या द्वीप परिषद द्वारा प्रबंधित अनुरक्षित वित्तपोषित किसी संस्थान या सेवा के लिए सहायतार्थ या खर्च हेतु प्राप्त सभी राशि; तथा

(ठ) भारत सरकार द्वारा समेकित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान।